



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,  
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए० / एस०एस०-1 / श०स्था०नि० /

दिनांक-

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता

जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), बेगूसराय  
जिला- बेगूसराय

जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय के अप्रैल 2012 से सितम्बर 2016 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 752/16-17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

- १० -

वरिय लेखापरीक्षा अधिकारी  
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए० / एस.एस.-1 / श०स्था०नि० / 19635 / 410

दिनांक- 10.02.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, बेगूसराय

वन्दीर एम्प 10/02/17

वरिय लेखापरीक्षा अधिकारी  
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

10/02/17  
1363.

परिशिष्ट - 1 (किसी-1)

80

जिला बेगूसराय						मुख्यमंत्री नगर विकास योजना						मार्च-अगस्त 2016				
क्रम	नगर विकास का नाम	कार्यकारी एजेंसी का नाम	प्रक्षेत्र	वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्राथमिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकारणमा की राशि (लाख) में	विमुक्त की राशि (लाख में)	निविदा के अंतिम विभाजन की तिथि	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	एकारणमा मा के अनुसार कार्य समाप्ति	व्यय (लाख में)	पूर्ण	कार्य प्रगति में	कार्य प्रारंभ	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बलिया नगर पंचायत	DUDA बेगूसराय	सुंदरियका रण	2013-14	मुख्यमंत्री नगर विकास योजनांतर्गत नगर पंचायत बलिया वार्ड नं० 2 के जिलाभरिषद् पीछर का सुंदरियका रण एवं स्वरुप केंद्र बलिया से पीछर तक निर्मित नाली की सफाई एवं ढक्कन कार्य	144.272	141.39044	93.7768	10.03.14	20.06.14	19.03.15	87.6473		कार्य प्रगति पर		
2	नगर पंचायत तेषड़ा	DUDA बेगूसराय	भवन	2015-16	मुख्यमंत्री नगर विकास योजनांतर्गत नगर पंचायत तेषड़ा वार्ड नं० 21 में विद्या विद्या पुस्तकालय मधुशायर में सुंदरियका रण कार्य	29.267	20.08877	14.633	19.01.16	18.02.16	09.08.16	10.89974		कार्य प्रगति पर		

1

जिला- बेगूसराय

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना

क्रम	नगर विकास का नाम	कार्यकारी एजेंसी का नाम	पक्षेत्र	वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि(लाख में)	एकराजनामा की राशि(लाख में)	विमुक्त की गयी राशि (लाख में)	निविदा के अंतिम निष्पादन की तिथि	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	एकराजनामा के अंतसार कार्य समाप्ति	खर्च (लाख में)	पूर्ण	कार्य प्रगति में	कार्य प्रारंभ अक्षियुक्ति
1	बिहट नगर परिषद्	DUDA बेगूसराय	रोड	2015-16	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना-2016 के अंतसारनामापुर टाला से पुराना पारसट ऑफिस से चन्द्रशेखर टोलगा जी घर होते हुए अरण्य सिंह के घर तक पथ में PCC सड़क निर्माण कार्य	31.569	25.7705	20.51985	20.11.2015	04.01.16	03.04.16			कार्य प्रगति पर	
2	बिहट नगर परिषद्	DUDA बेगूसराय	रोड	2015-16	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना-2016 के अंतसारनामापुर बिहट वार्ड नं०-26 में ईशार पंग एन एच 31 से बीरेंदर सिंह के घर तक पथ में PCC सड़क निर्माण कार्य	13.82	11.21999	8.983	20.11.15	23.12.15	22.02.16			जमीनी बिबाद	
3	बेगूसराय नगर निगम	DUDA बेगूसराय	रोड	2015-16	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना-2016 के अंतसारनामापुर बिहट वार्ड नं० 41 व 45 में मरिहानी हेमरा मुख्य सड़क स्थित उसमें भगत दुकान से मरेश्वर सिंह शम्भू सिंह घर काली स्थान होते हुए विकास कुमार के घर तक PCC सड़क दलाई	28.515	23.333044	18.53475	02.12.15	28.01.16	27.04.16			भौतिक रूप से पूर्ण	
4	बेगूसराय नगर निगम	DUDA बेगूसराय	रोड	2015-16	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना-2016 के अंतसारनामापुर बिहट वार्ड नं० 12 के नवजीवन वासुदेव पुस्तकालय बजलपुरा में सौन्दरियकरण का कार्य	49.91	40.83511	32.4415	02.12.15	05.03.16	04.09.16			भौतिक रूप से पूर्ण	
5	नगर पंचायत तेवड़ा	DUDA बेगूसराय	रोड	2015-16	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना-2016 के अंतसारनामापुर बिहट वार्ड नं० 12 के नवजीवन वासुदेव पुस्तकालय बजलपुरा में सौन्दरियकरण का कार्य	22.404	17.84379	11.202	22.11.16	15.02.16	14.08.16			भौतिक रूप से पूर्ण	

कुल राशि

91.68

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०-752/16-17

भाग:-I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय	
2.	लेखा परीक्षा का क्षेत्र:	कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय के अप्रैल 2012 से सितम्बर 2016 तक के लेखाओं की नमूना जाँच किया गया।	
3.	कार्यपालक अभियंता का नाम एवं पता:	ई० सैयद साह सफदर युसुफ	21.07.11 से 02.04.12
		ई० ब्रज कुमार ओझा	03.04.12 से 03.08.13
		ई० रामानन्द महतो	03.08.13 से 04.07.16
		ई० मदन प्रसाद सिंह	04.07.16 से अब तक
4.	लेखा परीक्षा की तिथि:	13.10.16 से 24.10.16	
5.	लेखा परीक्षा दल के सदस्यगण:	श्री प्रीतेष सौरभ स.ले.प.अ. श्री पवन कुमार, स.ले.प.अ. श्री अरविन्द कुमार सिंह, व.ले.प.	
6.	पर्यवेक्षण पदाधिकारी का नाम:	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, व.ले.प.अ.	
7.	क्या विभागीय उच्चाधिकारी/वित्त विभाग द्वारा लेखा अभिलेखों का निरीक्षण किया गया ?	नहीं।	
8.	क्या पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा की गई :	प्रथम लेखा परीक्षा।	
9.	सामान्य अभ्युक्ति:	जिन आपत्तियों का निराकरण लेखा परीक्षा के दौरान नहीं हो पाया उसे इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।	
10.	क्या आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया गया:	हाँ दिनांक 24.10.16 को विचार विमर्श किया गया।	

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

Disclaimer Certificate

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय, द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना एवं लेखा अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी गलत और/या अपूर्ण सूचना की सत्यता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग-॥ (क)-शून्य

भाग-॥ (ख)

कंडिका:- 1 बेगूसराय नगर निगम अर्न्तगत बाघी में मोनी बाबा ठाकुर बाड़ी से नगर निगम सीमान तक ईट सोलिंग एवं पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा।

एन.आई टी सं. - 05/2015-16 (ग्रुप सं० -02)

योजना का नाम- बेगूसराय क्षेत्र बाघी में मोनी बाबा ठाकुर बाड़ी से नगर निगम सीमान तक ईट सोलिंग एवं पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।

प्राकलित राशि - 2954876/-

एकरारनामा सं० एवं वर्ष - 36एफ-2/2015-16

एकरारनामा की तिथि - 08.03.16

एकरारित राशि -2659388/-

एजेन्सी का नाम - रश्मि एंड ब्रदर्स प्रा० लिमिटेड

कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि - 08.03.2016/07.06.2016

कार्यादेश की तिथि:- शून्य/08.03.16

1. बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40 (10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' एवं चालान संवेदक को प्रमण्डल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियंता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है। उपरलिखित योजना से संबंधित उपलब्ध कराई गई संचिका, मापीपुस्त के जाँच के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ on account bill के memorandum of Payment में निम्नलिखित खनिज संपदाओं पर ढुलाई में खर्च दिखाया गया था जबकि फार्म 'एम०' एवं 'एन०' संवेदक के द्वारा नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित योजना संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि कार्यालय द्वारा इस तरह की कोई मांग संवेदक से नहीं की गयी। फार्म 'एम०' एवं 'एन०' की अनुपलब्धता में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि खनिज संपदा कहां से क्रय की गई थी जिसपर ढुलाई का खर्च रू० 634980.00 का भुगतान किया गया था। फार्म की अनुपलब्धता की स्थिति में भुगतान 634980/- अनियमित प्रतीत होता है। विवरणी निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	मापी पुस्त की पृष्ठ सं०	ईट	लोकल बालु (एम क्यु)	क्युल बालु (एम क्यु)	स्टोन चिप्स (एम क्यु)
1	12	55575	226.63	96.34	340.39
2	दर	555.10 प्रति हजार	194.36	732.65	1438.05
	कुल	31937.00	44048.00	70584.00	489498.00

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि आगामी क्रियान्वित होने वाले योजनाओं में संवेदक से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जायगा वैसे पूर्व की सभी योजनाओं पर रोयाल्टी काट कर ही भुगतान किया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन नहीं किया गया।

## 2. अपूर्ण योजना पर निष्फल राशि- 15.47 लाख

(क) उक्त योजना से संबंधित संचिका, मापी पुस्त, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अवलोकन से पता चला कि योजना की प्राक्कलित राशि 2954876/- निर्धारित की गयी जबकि एकरारनामा 2659388/- पर किया गया। योजना की तकनिकि स्वीकृति राशि 3102600/- जबकि प्रशासनिक स्वीकृति राशि 3250400/- की दी गयी। तकनीकी स्वीकृति अभिलेख के अवलोकन से यह पता चला कि योजना में वास्तव में कार्य 4300011/- की दिखायी गयी जबकि तकनीकीस्वीकृति राशि 3102600/- की दी गयी। अन्तर का कारण के संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि योजना में टंकण भूलवश प्राक्कलन की गणना गलत हो गयी थी। कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इसी दर पर प्राक्कलन तैयार किया गया एवं सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता स्तर से अर्थात् तीन स्तर से जांच कर योजना की प्रशासनिक एवं तकनीकीस्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी, एवं संस्वीकृत पदाधिकारी द्वारा इसी प्राक्कलन के आधार पर राशि विमुक्त भी की जा चुकी थी। इससे यह स्वतः स्पष्ट है कि गलत प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। संचिका में इस भूल का कहीं उल्लेख नहीं पाया गया। अंकेक्षण के दौरान ही इस तरह की भूल का उजागर हो पाया। इस कदम से योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

(ख) प्राक्कलन से कम कार्य किया जाना राशि:- रू0 19.17 लाख

क्रम सं०	आइटम सं०	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार किया जाने वाला काम	मापी पुस्त के अनुसार किया गया काम	अन्तर	Rate (Rs.Per Unit)	राशि	Percentage of work remained incomplete	
1	RCD-3.16	1848.30 cum	708.912 cum	1139.39 cum	232.30	264680.30	61 %	
2	BCD- 2.28	279.08 cum	162.107 cum	116.98 cum	386.86	45255.00	42%	
3	BCD-11.73	1860.50 sqm	1070.19 sqm	790.31 cum	434.19	343144.70	43%	
4	Throught	189.77 cum	115.40 cum	74.37 cum	2573.96	191425.40	39%	
5	RCD-6.2	379.54 cum	214.08 cum	165.46 cum	6480.97	1072341.29	44%	
6	RCD-8.4	1 each	1 each	----	6817.50	--	Nil	
7	कुल काम किया गया						1916846.6	
					Below rate 10%	191684.66		
	कुल भुगतान किया गया						<b>1725161.99</b>	

उपर दिए गए तालिका से यह स्पष्ट है कि रू0 2383316/- (4300011-1916695) अर्थात् 55% काम नहीं किया गया, परन्तु प्रस्तुत योजनाओं प्रगति प्रतिवेदन में पूर्ण दिखाते हुए अभियुक्ति में यह दिखाया गया कि विवादित क्षेत्र को छोड़कर योजना पूर्ण है। अर्थात् इससे यह स्पष्ट होता है कि अब आगे इस योजना में कोई कार्य होने की कोई संभावना नहीं है। प्राक्कलन स्थल निरीक्षण के बाद

ही बनाया जाता है अगर उस समय अच्छी तरह से जाँच की गयी होती तो योजना अपूर्ण नहीं रहती एवं राशि का निरर्थक व्यय नहीं हुआ होता। अतः योजना के मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी एवं आमजन को इससे होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। योजना अभिलेख के अवलोकन से यह पता चला कि योजना के क्रियान्वयन के दौरान जमीन विवाद का मामला 09.08.16 को कार्यालय के प्रकाश में आया। इस योजना की अंतिम मापी दिनांक 05.06.16 को की गयी। आगे संचिका के अवलोकन से यह मामला प्रकाश में आया कि कार्यपालक अभियंता ने पत्र सं० 443/16.05.16 से प्रबंधक, ऑयल इंडिया, बरौनी को उक्त कार्य करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए अनुरोध किया था। प्रबंधक ऑयल इंडिया, बरौनी के द्वारा उक्त पत्र का जवाब की प्रति संचिका में संलग्न नहीं पायी गयी। जवाब की अनुपस्थिति में यह माना जा सकता है कि प्रबंधक ऑयल इंडिया, बरौनी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया।

इस संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि विवादित स्थल को छोड़कर शेष बचे जगह पर कार्य करवाया गया। कार्यालय द्वारा दिए गए जवाब से यह स्वतः स्पष्ट है कि कार्य को बीच में ही छोड़कर पूर्ण दिखाया गया। इससे योजना के उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी जिसके लिए योजना चलाई गयी थी।

संवेदक द्वारा कार्यालय में समर्पित किए गए चलंत लेखा बिल में कार्य समाप्ति की तिथि 29.07.16 दिखायी गयी है जबकि मापी पुस्त में अंतिम मापी दिनांक 05.06.16 को दिखायी गयी है। इस संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि भविष्य में अभियंताओं को इस तरह के अंतर के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया जायेगा।

**कंडिका:- 2. बेगूसराय नगर निगम अंतर्गत विपिन सिंह द्वार से बटोरन ठाकुर घर होते हुए पुराना तीन मंजिला तक पी०सी०सी० सड़क ढलाई कार्य की समीक्षा।**

N.I.T. संख्या : 01/13-14

एग्रीमेंट न० : 01F2/2013-14

संवेदक का नाम : M/s जय ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, बेगूसराय

सड़क की लम्बाई : 700 मीटर

प्राक्कलित राशि : ₹0 3690050/-

कार्यादेश की तिथि : 01.10.2013

कार्य समाप्ति की तिथि : 31.12.2013

**(i) खनन सामग्रियों के ढुलाई पर अनियमित भुगतान राशि 10.97 लाख।**

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40 (10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान संवेदक को प्रमण्डल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियंता

उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

योजना से सम्बंधित संचिका के जाँच के क्रम में यह पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के ढुलाई मद में बिना प्रपत्र एम, एन तथा चालान प्राप्त एवं सत्यापन किये ही संवेदक को कुल 1097306.89 का भुगतान किया गया जो नियमों के प्रतिकूल थे। विवरण इस प्रकार है:-

Sl.No.	Name of Material	Quantity	Rate of Carriage	Amount (Rs.)
1	C Sand	299.28 m <sup>3</sup>	716.55 /m <sup>3</sup>	214449.08
2	Stone Chips	598.56 m <sup>3</sup>	1427.24 /m <sup>3</sup>	854288.77
3	cement (as per estimate )	156.99 MT	181.98/MT	28569.04
Total				1097306.89

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि आगामी क्रियान्वित होने वाले योजनाओं में संवेदक से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जायगा वैसे पूर्व की सभी योजनाओं पर रॉयल्टी काट कर ही भुगतान किया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन नहीं किया गया।

**(ii) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर रोक के बावजूद निर्माण कार्य करना**

योजना से सम्बंधित संचिका के अवलोकन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि जिला योजना पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता डूडा बेगुसराय को पत्र प्रेषित क्या गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री सुनील सिंह द्वारा दायर याचिका के आलोक में उक्त सड़क के निर्माण कार्य पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश की प्रति संलग्न करते हुए आवश्यक कारवाई करने का अनुरोध किया गया है। परन्तु, इस सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही से सम्बंधित कोई अभिलेख संचिका में संलग्न नहीं पाया गया। इस संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि विवादित स्थल को छोड़कर शेष बचे जगह पर कार्य करवाया गया। कार्यालय द्वारा दिए गए जवाब से यह स्वतः स्पष्ट है कि कार्य को बीच में ही छोड़कर पूर्ण दिखाया गया। इससे योजना के उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी जिसके लिए योजना चलाई गयी थी।

साथ ही इसके अतिरिक्त कोई अन्य निर्माण कार्य जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के बावजूद निर्माण कार्य को पूर्ण किया गया हो उसकी सूची अंकेक्षण दल द्वारा मांगे जाने पर कार्यालय द्वारा ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसके अभाव में यह कहना बहुत मुश्किल है कि इस तरह की कोई अन्य विवादित योजना का क्रियान्वयन कार्यालय द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं।

**(iii) संचिका में कार्य सम्बन्धी फोटोग्राफ एवं वीडियो आदि का अनुपलब्ध पाया जाना**

कार्यादेश में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि कार्य स्थल पर कार्य से सम्बंधित सूचना पट लगा कर ही कार्य प्रारंभ करना है साथ ही कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समापन के पश्चात का परत दर परत फोटोग्राफ एवं वीडियो प्रत्येक विपत्र के साथ समर्पित करना अनिवार्य है। परन्तु, संचिका के अवलोकन में कार्य स्थल तथा कार्य से सम्बंधित कोई फोटोग्राफ एवं वीडियो आदि संलग्न नहीं पाया गया। अतः कार्यादेश में दिए



गए निदेश के विपरीत कार्य स्थल तथा कार्य से सम्बंधित कोई फोटोग्राफ एवं विडियो आदि संचिका में संलग्न न होने का आपत्ति उठाए जाने पर कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि फोटोग्राफ लगा दिया जायगा।

अतः कार्यपालक अभियंता से अनुरोध है कि दिए गए जवाब के आलोक में कदम उठाए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाए।

**कंडिका:- 3 नगर परिषद् बीहट क्षेत्र संख्या -24, बाल्मीकि सिंह के घर से महेंद्र सिंह के घर तक पी० सी०  
सी० निर्माण कार्य की समीक्षा।**

एग्रीमेंट न० : 28F2/2012-13

संवेदक का नाम : श्री कैलाश प्रसाद सिंह

सड़क की लम्बाई : 308 मीटर

प्राक्कलित राशि : 2180300/-

कार्यादेश की तिथि : 17.01.2013

कार्य समाप्ति की तिथि : 16.04.2013

**(i) खनन सामग्रियों के ढुलाई पर अनियमित भुगतान राशि 5.32 लाख।**

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40 (10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान संवेदक को प्रमण्डल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियंता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

योजना से सम्बंधित संचिका के जाँच के क्रम में यह पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के ढुलाई मद में बिना प्रपत्र एम, एन तथा चालान प्राप्त एवं सत्यापन किये ही संवेदक को कुल 532159.91/- का भुगतान किया गया जा नियमों के प्रतिकूल थे। विवरण इस प्रकार है:-

Sl.No.	Name of Material	Quantity	Rate of Carriage	Amount (Rs.)
1	k Sand	129.93 m3	464.84 /m3	60396.66
2	Stone Chips	259.87 m3	1042.81 /m3	270995.03
3	cement	113.76 MT	176.70/MT	20101.39
4	GSB	173.25 m3	1042.81 /m3	180666.83
Total				532159.91

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि आगामी क्रियान्वित होने वाले योजनाओं में संवेदक से प्रपत्र एम तथा एन प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जायगा वैसे पूर्व की सभी योजनाओं पर रॉयल्टी काट कर ही भुगतान किया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन नहीं किया गया।

**कड़िका:- 4 प्रशासनिक स्वीकृति के बावजूद कार्य नहीं किया जाना (300.29 लाख)**

जिला शहरी विकास अभिकरण बेगूसराय के द्वारा अंकेक्षण दल को उपलब्ध करायी गयी मासिक प्रगति प्रतिवेदन (अगस्त 2016) के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पांच योजनाएं ऐसी है, जिसे कार्यान्वित करने के लिए जिला समाहारणायल, जिला योजना कार्यालय द्वारा जनवरी 16 से मार्च 2016 के मध्य प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है , परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इन पांचों योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निविदा नहीं निकाली गयी, जबकि इन सभी योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत राशि जिला शहरी विकास अभिकरण बेगूसराय को उपलब्ध करायी जा चुकी है। राशि जिला शहरी विकास अभिकरण बेगूसराय के खाता सं० पी.एन.बी. 231678 में जमा पायी गयी।

विवरणी इस प्रकार है:-

क्रम सं०	पत्र सं० / दिनांक	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान में विमुक्त राशि
1	225 / 10.03.16	मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नगर निगम बेगूसराय के वार्ड नं०-28 नरेश पोद्दार के घर से पुनः नरेश पोद्दार के घर होते हुए अमितेश सिंह के घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	1303100.00	1303100.00	651550.00
2	225 / 10.03.16	मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नगर निगम बेगूसराय के वार्ड नं०-23 में संतोष सिन्हा के घर से विकास नारायण अम्बष्ट के घर तक पथ में पी.सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	1156100.00	1156100.00	578050.00
3	81 / 30.01.16	मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नगर निगम बेगूसराय में गाँधी स्टेडियम का सौन्दर्यीकरण कार्य	18579000.00	18579000.00	9289500.00
4	80 / 30.01.16	मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नगर निगम बेगूसराय में वार्ड सं०- 03 स्थित सावित्री उच्च विधालय में स्टेडियम का निर्माण कार्य	27020000.00	27020000.00	13510000.00
5	65 / 28.01.16	मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नगर परिषद् बीहट में महात्मा गांधी उच्च विधालय में स्टेडियम का निर्माण कार्य	12000000.00	12000000.00	6000000.00
<b>कुल</b>			<b>60058200.00</b>	<b>60058200.00</b>	<b>30029100.00</b>

निविदा नहीं निकालने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका इस परिस्थिति में अवरूद्ध राशि रू0 30029100 /- जिला पदाधिकारी को वापस नहीं करने के कारण से दल को अवगत नहीं कराया गया, संभव था कि उक्त राशि से जिला पदाधिकारी द्वारा कोई अन्य योजना में राशि विमुक्त की जा सकती थी।

अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि विभागीय आदेशानुसार टेंडर पर रोक लगा दिया गया था। पुनः आदेश आने पर आगे की कारवाई की जायेगी।

कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के आदेश की छायाप्रति दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी साथ ही राशि अवरूद्ध रखने के कारण से भी दल को अवगत नहीं कराया गया।

अतः कार्यपालक अभियंता से अनुरोध है कि अवरूद्ध राशि को संस्वीकृत पदाधिकारी को वापस करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

#### **कंडिका:-5 विभिन्न योजनाओं के अपूर्ण कार्य पर व्यय रू0 98.55 लाख**

जिला शहरी विकास अभिकरण बेगूसराय के द्वारा अंकेक्षण दल को उपलब्ध करायी गयी मासिक प्रगति प्रतिवेदन (अगस्त 2016) के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि योजनाएं अपने निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो सकी। फलस्वरूप इन योजनाओं का लाभ लाभुकों को नहीं मिल सका। (विवरण संलग्न परिशिष्ट-I)

उपरोक्त सभी कार्य अपूर्ण रहने के कारण शासकीय राशि रू. 9854704 /- लाख का निरर्थक व्यय किया गया। विदित हो कि उक्त सभी योजनाओं के कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 06 माह ही थी परन्तु कार्य अंकेक्षण की समाप्ति तक पूर्ण नहीं किया जा सका। ज्यादा समय बीत जाने के बाद निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सामानों की दर में बढ़ोतरी की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस परिस्थिति में कार्यों को गुणवत्तासहित पूर्ण करने की संभावना कम हो सकती है।

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि योजना क्रम सं0-1 में जिला परिषद् बेगूसराय के द्वारा कार्य पर रोक लगा दिया गया था तथा बरसात के कारण कार्य में विलम्ब हुआ। योजना क्रम सं0 -2 के संबध में कहा गया कि कार्य भौतिक रूप से पूर्ण हो चुका है परन्तु मापी पुस्त कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है। मापी पुस्त प्राप्त कर राशि का भुगतान किया जायगा।

कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि रोक लगाने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्य नहीं किए जाने की स्थिति में राशि को संस्वीकृत पदाधिकारी को वापस किया जाना चाहिए था ताकि अन्य कोई नयी योजना ली जा सके। राशि खर्च नहीं करने की स्थिति में सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना का लाभ आमजन को नहीं हो सका एवं योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

अतः कार्यपालक अभियंता से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

**कडिका:- 6 योजना सं0 01/ 2012-13 में अनियमितता**

एन.आई टी सं. - 01/2012-13 (ग्रुप सं0 -13)

योजना का नाम- वार्डसं0-41 में ऐघु दुर्गास्थान चौक, महावीर मंदिर पी0डब्लु0डी0 बेगूसराय मटियानी पथ से लीची बगान बड़ी ऐघु तक नाला सह सड़क निर्माण कार्य पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।

प्राकलित राशि - 7512776/-

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष - 20एफ-2/2012-13

एकरारनामा की तिथि - 27.12.12

एकरारित राशि -6938049/-

एजेन्सी का नाम - मे0 रोमा कंस्ट्रक्शन कम्पनी

कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि - 27.12.2012/26.06.2013

कार्यादेश की तिथि:- 643/27.12.12

1. बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40 (10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान संवेदक को प्रमण्डल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियंता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है। उपरलिखित योजना से संबंधित उपलब्ध कराई गई संचिका, मापीपुस्त के जॉच के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ on account bill के memorandum of Payment में निम्नलिखित खनिज संपदाओं पर ढुलाई में खर्च दिखाया गया था जबकि फार्म एम0 एवं एन0 संवेदक के द्वारा नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया था। संबंधित योजना संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि कार्यालय द्वारा इस तरह की कोई मांग संवेदक से नहीं की गयी थी। फार्म एम0 एवं एन0 की अनुपलब्धता में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि खनिज संपदा कहां से कय की गई थी जिसपर ढुलाई का खर्च रू0 999753.00 का भुगतान किया गया था। फार्म की अनुपलब्धता की स्थिति में भुगतान 999753.00 अनियमित प्रतीत होता है। विवरणी निम्न प्रकार है।

क्रम सं0	मापी पुस्त की पृष्ठ सं0	ईट	लोकल बालु (एम क्यु)	क्युल बालु (एम क्यु)	स्टोन चिप्स (एम क्यु)
1	12	57533		125.45	175.19
2	25	25215	51.76	100.65	86.03
3	35	28084	72.90	76.92	153.30
4	51	84365	111.16	133.21	191.11
5	कुल	193239	308.95	436.23	605.63
	दर	396 प्रति हजार	162.76	634.76	984.08
राशि रू0 में		76579.00	50285.00	276901.00	595988.00

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर कार्यालय द्वारा यह जबाब दिया गया कि आगामी क्रियान्वित होने वाले योजनाओं में संवेदक से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जायेगा जैसे पूर्व की सभी योजनाओं पर रॉयल्टी काट कर ही भुगतान किया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन नहीं किया गया।

- 2- संचिका में संलग्न निविदा आमंत्रण सूचना सं0 01/2012-13 के शर्त सं0 22 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कार्य की गुणवत्ता एवं निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच सरकारी संस्थान से कराकर ही चालू विपत्र एवं अन्तिम विपत्र पर भुगतान किया जायेगा, परन्तु प्रस्तुत संचिका में गुण नियंत्रण कार्य दिनांक 10.12.13 को किया गया ही संलग्न पाया गया जबकि प्रथम चलंत बिल पर भुगतान दिनांक

05.2.13 को ही किया गया। अर्थात् गुण नियंत्रण प्राप्त किए बैगर ही राशि का भुगतान किया जाता रहा। भुगतान विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं०	चेक सं०	दिनांक	राशि
1	004221	5.2.13	1810827.00
2	28996	4.5.13	1313868.00
3	029015	10.6.13	1405508.00
4	040712	31.10.13	2151193.00
5			107560.00
<b>कुल</b>			<b>6788956.00</b>

उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि दिनांक 02.02.13 को गुण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही भुगतान किया गया है। कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि निविदा आमंत्रण सूचना सं० 01/2012-13 के शर्त सं० 22 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कार्य की गुणवत्ता एवं निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच सरकारी संस्थान से कराकर ही चालू विपत्र एवं अन्तिम विपत्र पर भुगतान किया जायेगा। प्रत्येक चलंत बिल के भुगतान के पहले गुण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करना था परन्तु प्रथम एवं अन्तिम चलंत बिल के भुगतान के पहले गुण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया जबकि उपरलिखित क्रम सं० 2 एवं 3 के भुगतान के पहले गुण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया इस प्रकार निविदा के शर्त सं० 22 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अतः भुगतान अनियमित है।

3. संचिका में संलग्न निविदा आमंत्रण सूचना सं० 01/2012-13 के शर्त सं० 21 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कार्य की तीनों स्थितियों में फोटोग्राफी / विडियो ग्राफी संबंधित प्रभारी अभियंता को समर्पित करना होगा, परन्तु संचिका में ऐसी कोई फोटोग्राफी संलग्न नहीं पायी गयी। आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि फोटोग्राफ लगा दिया जायेगा।

4. संचिका में श्रीमती मीना कुमारी द्वारा दिया गया एक आवेदन पाया गया जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि उनके निजी जमीन पर सरकारी योजना के तहत अनाधिकृत रूप से नाला एवं सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि विवादित स्थल को छोड़कर शेष बचे जगह पर कार्य करवाया गया। कार्यालय द्वारा दिए गए जवाब से यह स्वतः स्पष्ट है कि कार्य को बीच में ही छोड़कर पूर्ण दिखाया गया। इससे योजना के उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी जिसके लिए योजना चलाई गयी थी।

5. संवेदक द्वारा आए दिन **Serious unbalanced** कम दर अपनी निविदा में उद्धृत किया जाता है जिसके फलस्वरूप कार्य समय पर गुणवत्ता के साथ सभी मदों सहित पूर्ण होने में संशय बना रहता है। अभियंता प्रमुख—सह— अपर आयुक्त—सह— विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार (पत्रांक प्र० 6/1/बी०-12/2003-3376 (एस०) दिनांक 17.08.10) द्वारा कतिपय परिस्थिति के **clarification** के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष (इंजीनियरिंग शाखा) को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं० (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन से **Serious unbalance** के कम दर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे **Additional Performance Guarantee** के रूप में राशि की माँग की जाय। परिमाण—विपत्र की दर से 0 से 5: कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत

उद्धृत दर एवं 5 से 10 प्रतिशत कम उद्धृत निविदा के लिए 0.5: प्रति एक प्रतिशत उद्धृत दर से ली जाय। उक्त कार्य को परिमाण विपत्र की राशि से 7.65 प्रतिशत कम दर पर आवंटित किया गया था एवं राशि 6938049/- पर एकरारनामा दिनांक-27.12.12 को किया गया था। इस प्रकार परिमाण विपत्र की राशि 6938049 का 2.75 (5x0.25+3x0.5) प्रतिशत अर्थात् रू0 6938049 x 2.75 प्रतिशत = 190796/- की प्राप्ति किये बिना ही संवेदक को कार्य आवंटित कर अदेय लाभ प्रदान की गयी। और विपत्र पर भुगतान के पूर्व उक्त राशि की कटौती नहीं की गयी। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर इस संबंध में कार्यलय द्वारा जवाब दिया गया कि कार्य सफलतापूर्वक ससमय पूर्ण हो गय, उस समय APG का प्रावधान नहीं था, जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बिहार सरकार द्वारा इस संबंध में नियम 2010 में ही निर्गत किए जा चुके है जबकि कार्य 2012-13 में किया गया है। नियम का पालन नहीं किए जाने से संवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

6.

क्रम सं०	आइटम सं०	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार किया जाने वाला काम	मापी पुस्त के अनुसार किया जाने वाला काम	अन्तर	दर	राशि
1	1	306.875	296.32	10.555	143.79	1517.70
2	2	996.875 M <sup>3</sup>	958.805	38.07	153.10	5828.52
3	3	238.125	234.19	3.94	304.90	1201.31
4	4	1375.00 M2	1322.50	52.50	33.97	1783.43
5	5	103.125	99.195	3.93	4065.91	15979.03
6	6	412.50	396.75	15.75	3656.85	57595.39
7	7	1504.80M2	1447.34	57.46	103.28	5934.47
8	8	1504.80M2	1447.34	57.46	23.17	1331.35
9	9	206.25	198.23	8.02	5573.80	44701.88
10	10	18.15 MT	17.5846	0.57	65548.42	37362.60
11	11	1155 M2	1128.435	26.57	122.85	3264.13
12	Part-ii Road					
13	1	1080 M2	1062	18.00	343.86	6189.48
14	2	399.96	385.875	14.08	5524.08	77779.05
15	3	2 NO	--	2	5659.82	11319.64
16	4 (I)	2NO	---	2	1456.71	2913.42
	4 (II)	6NO	---	6	425.28	2551.68
						277253.08
					Below rate 7.65%	21210.00
						256043.15

7. उपर दिए गए विवरणी से स्पष्ट है कि तकनीकी स्वीकृति आइटम सं० भाग-2 रोड के क्रम सं० 3, 4 (I) एवं 4 (II) का कार्य नहीं किया गया, परन्तु योजना को पूर्ण करा दिया गया। इस संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि विवादित स्थल को छोड़कर शेष बचे जगह पर कार्य करवाया गया। कार्यालय द्वारा दिए गए जवाब से यह स्वतः स्पष्ट है कि कार्य को बीच में ही छोड़कर पूर्ण दिखाया गया। इससे योजना के उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी जिसके लिए योजना चलाई गयी थी।

**कंडिका:— 7 लेबर सेस की राशि कटौती कर अनियमित रूप से अवरुद्ध रखा जाना रू0 2.79 लाख।**  
केन्द्रीय अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है तथा सभी कार्य विभागों यह निर्देश दिया गया था कि सभी कार्यों से कार्य लागत का एक प्रतिशत राशि काटकर कर्मकार कल्याण बोर्ड को जमा किया जाए। कटौती की गई राशि को एक माह के अन्दर संयुक्त श्रमायुक्त सह सचिव, बिहार भवन एवं अन्य कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, विकास भवन, पटना-15 के नाम से जमा करा दिया जाए। विफलता पर लेबर सेस की राशि का 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से अधिभार करने का प्रावधान भी था।

जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगुसराय के अभिलेखों का नमूना लेखा परीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यालय द्वारा कार्य विपत्रों से लेबर सेस मद में 1 प्रतिशत की राशि की कटौती किया जा रहा था परंतु माह अगस्त' 2016 तक लेबर सेस की राशि 279693.00 नियमानुसार 1 माह के अन्दर श्रमायुक्त सह सचिव के पास जमा नहीं कराया गया था। पुनः माह सितम्बर' 2016 की अवधि में लेबर सेस के रूप में एकत्रित की गई राशि 259613/- को नियमानुसार एक माह के अन्दर श्रमायुक्त सह सचिव के पास जमा करने का सकारात्मक प्रयास किया जाए।

इस संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि लेबर सेस की राशि एक माह के अंदर संबंधित विभाग में जमा करा दिया जायगा।

अतः कार्यपालक अभियंता से अनुरोध है कि इस संबंध में सकारात्मक प्रयास किए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

**कंडिका:— 8 कार्य भौतिक रूप से पूर्ण परन्तु अंतिम विपत्र का भुगतान नहीं किया जाना एवं अधिक भुगतान राशि 3.60 लाख**

एन.आई टी सं. - 03/2015-16 (गुप सं0 -01)  
योजना का नाम- नगर पंचायत बलिया वार्ड सं0 19 में मों0 जब्बार के दुकान से सज्जाद नददाक के घर तक सड़क एवं नाला का निर्माण  
प्राकलित राशि - 3600629/-  
एकरारनामा सं0 एवं वर्ष - 14एफ-2/2015-16  
एकरारनामा की तिथि - 30.11.15  
एकरारित राशि -3240566/-  
एजेन्सी का नाम - अरबिन्द कुमार सिंह  
कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि - 29.03.2016/30.11.2015  
कार्यादेश की तिथि:- 819/30.11.15

संचिका के अवलोकन से पता चला कि अंतिम मापी कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 10.07.16 को की गयी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक योजना का अंतिम भुगतान नहीं किया गया, जो एकरारनामा की शर्तों की कंडिका 7 एवं बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है।